**बिहार सरकार**
**परिवहन विभाग**

# मुख्यमंत्री बिहार, पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाः–

मुख्यमंत्री बिहार, पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहनों के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1. विभागीय अधिसूचना सं०–3747 दिनांक–15.05.2026 के आलोक में अधिसूचना की निर्गत की तिथि अर्थात् दिनांक–15.05.2026 के उपरान्त क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे। यह 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी होगा।
2. वैसे आवेदक जो EV Subsidy का लाभ बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 के तहत प्राप्त कर लिए है, उन्हें योजना का दोबारा लाभ देय नहीं होगा।
3. पात्र आवेदक परिवहन विभाग, बिहार, पटना के विभागीय वेबसाईट पर इवी पोर्टल https://odtransportmis.nic.in/BiharEV के माध्यम से **ईवी मैनुअल के अनुसार** ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
4. आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही संबंधित श्रेणी के लिए प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे।
5. उक्त योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन की राशि **"पहले आओ, पहले पाओ"** की नीति के आधार पर देय होगा। आवेदन का निस्तार आवेदन जमा करने की तिथि के 15 कार्यदिवस में किया जाना है। इस हेतु विभाग को अनुमानित अधियाचना सभी जिला परिवहन .पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।
6. प्रथम आवेदनकर्त्ता को भुगतान के उपरान्त ही दूसरे, तीसरे अन्य क्रम के आवेदनकर्त्ता को प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। यदि क्रम को तोड़ कर किसी भी आवेदक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है, तो इसके लिए पूर्ववर्ती क्रम के आवेदक के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अग्रेतर क्रमवार आगे बढ़ेंगे। यदि बिना वैद्य कारण के क्रम तोड़ते हैं, तो इसके लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जायेगी।
7. इस योजना के लिए निर्धारित बजट उपलब्धता तक ही प्रोत्साहन राशि वितरित किया जायेगा।

21.5.26

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–06/योजना–14–14/2025........3995 पटना, दिनांक–22/05/2026

प्रतिलिपिः– 1. सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2. वरीय तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी बिहार, पटना/ आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/05/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।